बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– मो0–03–कार्य–डी0–07/20–IV– 503

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी।

पटना, दिनांक : 05/03/26

विषय : अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 99, दिनांक 02.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डिहरी अंतर्गत योजना शीर्ष RRSMP में स्वीकृत पथ "NH2C to Indrapuri Dam" का नवीनीकरण कार्य, जिसकी कुल लम्बाई 1.650 कि०मी० है, जिसमें CCP Length 1550 मी० एवं BT Length 100 मी0 में Surface का Renewal कराये जाने एवं उक्त पथ के प्रारंभ बिन्दु NH2C के पास बाजार से होते हुए 220 मी० की लम्बाई में One Side 0.60 मी० Wide RCC नाले का निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति निर्गत किया जाता है :–

1. वर्तमान में उक्त पथ Cement Concrete Pavement का बना हुआ है। इसके अनुरूप ही उक्त पथ के नवीनीकरण कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन में WMM, Subgrade, Scaryfing Existing Bituminuos Surface आदि का प्रावधान किया गया है, जो उचित नहीं है एवं तकनीकी दृष्टि से विमर्श योग्य है।
2. इनके द्वारा Length of CD work शून्य दर्शाया गया है, जबकि सोन पश्चिमी संयोजक नहर (WLC) एवं सोन पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर (WPLC) इस सड़क के नीचे से गुजरती है, जिसका सुचारू रूप से Treatment अत्यावश्यक है। इसका प्रावधान संदर्भित कार्य के प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है/ अपेक्षित है।
3. उक्त पथ के प्रारंभ बिन्दु NH2C के पास बाजार से होते हुए 220 मी० की लम्बाई में One Side 0.60 मी० Wide RCC नाले का निर्माण किस तरफ से कराया जायेगा तथा पानी की निकासी का End Point कहाँ होगा एवं RCC नाला Covered होगा या Uncovered होगा और नाले का Cross Section अनुपलब्ध है, जिसमें स्पष्टता अपेक्षित है, ताकि पानी का जमाव सिंचाई परिसर में न हो।

4. संदर्भित कार्य के प्राक्कलन में 6 वर्ष के अनुरक्षण का प्रावधान है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
5. प्रस्तावित सड़क सोन बराज का गाईड बांध है एवं सिंचाई कॉलोनी इन्द्रपुरी से बराज तक का पहुँच पथ है, जिसपर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व पूरी तरह बना रहेगा।
6. प्रस्तावित स्थल पर उक्त कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा।
7. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग के किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रस्तावित निर्माण कार्य संबंधी रूपांकण एवं आलेख्य कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी को समर्पित कराना होगा एवं उनकी सहमति के उपरान्त ही निर्माण कार्य किये जाने की पूर्ण जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
9. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य के दौरान कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की स्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
10. प्रस्तावित निर्माण के उपरांत विभागीय भूमि पर से अपशिष्ट पदार्थ (Waste Material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
11. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दरम्यान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मानना होगा।
12. प्रस्तावित कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work) जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को करना होगा।
13. प्रस्तावित निर्माण कार्य से जल प्रवाह/Waterway प्रभावित या अतिक्रमित नहीं होना चाहिए।
14. उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

05/3/20

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–07 / 20–IV– 503 पटना, दिनांक : 05/03/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना / संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–07 / 20– IV– 503 पटना, दिनांक : 05/03/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/3/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–07 / 20–IV– 503 पटना, दिनांक : 05/03/26

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव महोदय के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

05/3/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय